18

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 44 / 2022 दायर दिनांक–28.03.2022

1 परमानन्द पुत्र भगवानदास
2 पवन कुमार पुत्र भगवानदास
3 राजेश कुमार पुत्र भगवानदास
4 रामनिवास पुत्र भगवानदास
5 शांतिदेवी पत्नी भगवानदास

समस्त जाति स्वामी निवासीगण परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

वादी

बनाम

1 भूमिधारक जरिये तहसीलदार, नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिलाझुन्झुनू राज.
2 प्रबंधक देवस्थान विभाग, जयपुर।
3 सचिव देवस्थान विभाग, जयपुर।
4 जिला कलेक्टर महोदय, झुन्झुनू।

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.07 13:45:07 IST
Reason: SelfAttested

दावा:– घोषणार्थ व रिकार्ड दुरुस्ती

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

उपस्थिति :

1. श्रीसज्जन कुमार चाहर, अधिवक्ता वादी
2. श्री राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता प्रतिवादी

–निर्णय–

दिनांकः–28.10.2024

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि ग्राम परसरामपुरा पटवार हल्का परसरामपुरा की सरहद में वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 1655 रकबा 1.57 हैक्टेयर, जिसके पुराने खसरा नम्बर 2493, जिसके पुराने खसरा नम्बर 2493, जिसके पुराने खसरा नम्बर 1804 हैक्टेयर स्थित है। उक्त खसरा नम्बरान के पुराने खसरा नम्बर संवत 2010 से 2036 तक वादीगण के पिता भगवानदास के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसकी जमाबंदी व खसरा नम्बर गिरदावरी वादपत्र के साथ संलग्न है।उक्त खसरा नम्बरान की भूमि का राजस्व रिकार्ड पूर्व में वादीगण के पिता भगवानदास के नाम से दर्जशुदा था। अब वादीगण के पिता भगवान के फौत होने पर उक्त कृषि भूमि पर वादीगण का 1/5–1/5 बराबर का हिस्सा व कब्जा काश्त है उक्त भूमि का हमेशा कब्जाकाश्त भी वादीगण व वादीगण के पूर्वजों का ही था वर्तमान मे भी उक्त भूमि पर कब्जा काश्त वादीगण का चला आ रहा है। उक्त पैरा नम्बर 1 में वर्णित कृषि भूमि ग्राम परसरामपुरा पटवार हल्का परसरामपुरा की सरहद में वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 1655 रकबा 1.57 हैक्टेयर, जिसके पुराने खसरा नम्बर 2493, जिसके पुराने खसरा नम्बर 1804 हैक्टेयर स्थित है। जिस पर वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में संवत 2036 तक चला आ रहा है उससे पहले वादीगण के दादा का कब्जा काश्त चला आ रहा था परन्तु संवत 2036 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.07 13:45:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

बाद पैमाईश में राजस्व कर्मचारियों ने भूलवश उक्त कृषि भूमि की खातेदारी बिना किसी प्रकार की जांच किये ही गलती से मंदिर श्री बालाजी के नाम से खातेदार दर्ज कर दी जो गलत दर्ज कर दी। उक्त वर्णित कृषि भूमि पर वादीगण का ही कब्जा काश्त था तथा वादीगण के पिता ही उक्त वर्णित कृषि भूमि को काश्त करते आ रहे थे तथा वर्तमान में भी वादीगण कृषि करते है तथा उक्त वर्णित भूमि पर वादीगण के पिता के समस्त वारिसानों का कब्जा काश्त था, उक्त वर्णित कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड राजस्व कर्मचारियों ने गलती से मंदिर श्री बालाजी के नाम से दर्ज कर दिया। इसलिए उक्त भूमि राजस्व कर्मचारियों को ऐसा कभी कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था की किसी के राजस्व रिकार्ड की भूमि को मंदिर के नाम से दर्ज कर दे, राजस्व कर्मचारियों को वादीगण की खातेदारी भूमि का राजस्व रिकार्ड उसके वारिसानों के नाम दर्ज करनी चाहिए थी, परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी जांच पड़ताल के वादीगण की खातेदारी भूमि को मंदिर श्री बालाजी के नाम से दर्ज कर दिया जो कि गलत दर्ज कर दिया। सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है तथा वादीगण का प्रथम दृष्टया मामला है अगर वादीगण के पक्ष में रिकार्ड दुरूस्त नहीं होगा तो वादीगण को इतनी क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप से संभव नहीं होगी। इसलिए पूर्व राजस्व रिकार्ड तथा वर्तमान कब्जा काश्त को देखते हुये उक्त रिकार्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः वाद स्वीकार कर कृषि भूमि ग्राम परसरामपुरा पटवार हल्का परसरामपुरा की सरहद में वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 1655 रकबा 1.57 हैक्टेयर, जिसके पुराने खसरा नम्बर 2493, जिसके पुराने खसरा नम्बर 1804 हैक्टेयर स्थित है। जिसका राजस्व रिकार्ड पूर्व में वादीगण के पिता के नाम से दर्ज था, जिसे राजस्व कर्मचारियों ने गलती उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड मंदिर श्री बालाजी के नाम से दर्ज कर दिया है का रिकार्ड दुरूस्त कर उक्त वर्णित भूमि का राजस्व रिकार्ड वादीगण प्रत्येक के 1/5–1/5 बराबर हिस्से के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.07 13:45:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक ... एवं न्यायिक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

घोषणा की जाकर प्रतिवादी नम्बर 1 को इस आशय की तहरीर जारी करने की कृपा करें।

प्रतिवादीगण की ओर से वाद कथन का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि ग्राम परसरामपुरा के भूमि खसरा नम्बर 1804 रकबा 6 बीघा 4 बिश्वा जमाबन्दी संवत 2021–2024 के खाता संख्या 538 व जमाबन्दी संवत 2025–2028 के खाता संख्या 603 के कॉलम नम्बर 5 (नाम कृषक) में भगवानदास पत्र हनुमान कौम स्वामी अंकन दर्ज है। पुराने खसरा नम्बर 1804 के नये बने खसरा नम्बर 2493 रकबा 1.57 जमाबन्दी संवत 2044 आधार वर्ष के खाता संख्या 1194 के अनुसार मन्दिर श्री बालाजी वाके देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त अंकन जमाबन्दी संवत 2048–51 व 2052–55 तक मन्दिर श्री बालाजी के नाम दर्ज चला आ रहा है। पुराने खसरा नम्बर 2493 रकबा 1.57 हैक्टेयर के नये खसरा नम्बर 1655 रकबा 1.57 हैक्टेयर बने है। जो जमाबन्दी संवत 2056–59 व 2061–64 तक मन्दिर श्री बालाजी वाके देह खातेदार दर्ज रिकार्ड रहे है। इसी अनुसार आज दिनांक तक उक्त भूमि मन्दिर श्री बालाजी के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। नकल जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल संलग्न है। शेष कथन वादी अस्वीकार है। बिन्दु संख्या दो वादी अस्वीकार है क्योंकि कानूनी स्थिति में मूर्ति को शाश्वत अवयस्क माना गया है। मूर्ति के शाश्वत अवयस्क होने के परिणामतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 (1)(अ) की निर्योगिताऐं इन भूमियों पर लागू है। वादी द्वारा मन्दिर मूर्ति की भूमि पर साज कर प्राप्त किये गये किसी भी दस्तावेज को कानूनी रूप से मान्यता नहीं मिल सकती है। सरकार के ध्यान में आने पर उक्त भूमि को की खातेदारी मन्दिर मूर्ति के नाम दर्ज की जा चुकी है। वादी यदि मन्दिर की खातेदारी भूमियों पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है तो वह केवल अतिचारी की परिभाषा में आता है। मूर्ति के शाश्वत अवयस्क होने के परिणामतः वादी को अतिचारी मानते हुए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुसंगत धाराओं के तहत बेदखल किये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.07 13:45:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

योग्य है। वादी को इस वाद के जरिये किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं हो सकता है। वाद वादी निराधार सारहीन होने से इसी स्तर पर काबिल खारिज है। बिन्द वाद वादी संख्या तीन पूर्ण रूप से अस्वीकार है क्योंकि कानूनी मूर्ति को शाश्वत अवयस्क माना गया है। मूर्ति के शाश्वत अवयस्क होने के परिणामतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46(1)(अ) की निर्योगिताऐ इन भूमियों पर लागू होने के कारण वादी को मन्दिर मूर्ति की भूमि पर किसी प्रकार से खातेदारी अधिकारी का सृजन नहीं हो सकते है। वाद वादी सारहीन नियमों के विपरित होने से खारिज योग्य है। वाद वादी बिन्दु संख्या चार पूर्ण रूप से अस्वीकार है। वादी के पक्ष में किसी प्रकार का सुविधा संतुलन नहीं है, वादी इस वाद के जरिये मन्दिर मूर्ति जो की शाश्वत अवयस्क है को बिना अधिकार के हड़पना चाहते है। जब वादी का उक्त भूमि पर अधिकार बनता ही नहीं है तो उनको क्षति होने की किसी भी सूरत में सम्भावना नहीं बन पाती है। वाद वादी सारहीन रिकार्ड के तथ्यों से परे होने से काबिल खारिज है। अतः जवाब वाद वादी सरकार की ओर से पेश कर निवेदन है कि वाद भूमि मन्दिर मूर्ति की खातेदारी भूमि रही है। कानूनी स्थिति में मूर्ति को शाश्वत अवयस्क माना गया है। मूर्ति के शाश्वत अवयस्क होने के परिणामतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 (1)(अ) की निर्योगिताऐ इन भूमियों पर लागु होने के कारण वादी को वाद भूमि पर किसी प्रकार से अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है। वादी केवल इस संबंध में मन्दिर मूर्ति की भूमि पर अतिचारी है। जिसको राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही कर बैदखल किये जाने के योग्य है। वाद वादी काबिले खारिज है।

वाद कथन व जवाब दावे के आधार पर निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई।

तनकीयात संख्या 1:– आया वाद में वादी ग्राम ...रामपुरा के पुराने खसरा नम्बर 2493 के भी पुराना खसरा नम्बर 1804 ... नया खसरा नम्बर 1655

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.07 13:45:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ

रकबा 1.57 हैक्टेयर की भूमि को वादीगण 1 लगायत 5 के नाम प्रत्येक के 1/5–1/5 हिस्से की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

भा.स.वादीगण

तनकी संख्या 2:– आया वाद में पुराने खसरा नम्बर 1804 जमाबन्दी संवत 2021–2024 व 2025–2028 में भगवानाराम पुत्र हनुमान कौम स्वामी अंकन दर्ज है, नये बने खसरा नम्बर 2493 जमाबन्दी संवत 2044, 2048–51 व 2052–2055 में मन्दिर श्री बालाजी वाके देह खातेदार के नाम दर्ज है, तथा नये बने खसरा नम्बर 1655 जमाबन्दी संवत 2056–59 व 2061–64 तक व आज दिनांक तक मन्दिर श्री बालाजी वाके देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मूर्ति को शाश्वत अवयस्क मानने के परिणामतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46(1)(अ) की निर्योगिताऐ लागू होने के कारण वादी को वाद भूमि पर किसी प्रकार से अधिकार प्राप्त नहीं होने व अतिचारी होने से वाद वादी काबिल खारिज होने योग्य है।

भा.स.प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 3 :– दादरसी

उपरोक्त तनकीयात कायमी के उपरांत वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में वादी परमानंद का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ एवं दस्तावेजी साक्ष्य में मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–पी1, पी2, जमाबंदी संवत 2021–24 प्रदर्श–3, 2025–28 प्रदर्श–4, 2044 आधार वर्ष प्रदर्श–पी5, 2048 से 2051 प्रदर्श–पी6, 2052 से 2055 प्रदर्श–पी7, 2056 से 2059 प्रदर्श–पी8, 2061–64 प्रदर्श–पी9, खसरा गिरदावरी 2021 प्रदर्श–पी10, 2022 से 2025 प्रदर्श–पी11, 2031 से 2033 प्रदर्श–पी12, 2021 प्रदर्श–पी14, 2022 से 2025 प्रदर्श–पी15, 2031 से 2033 प्रदर्श–पी16, 2022 से 2024 प्रदर्श–पी17, 2023 से 2025 प्रदर्श–पी18, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–पी19, जमाबंदी संवत 2025–28 प्रदर्श–पी20, 2021 से 2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.07 13:45:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ

प्रदर्श–पी21, 2075 से 2078 प्रदर्श–पी22, 2033 से 2036 प्रदर्श–पी23, पी24, विधानसभा प्रश्न सन 2019 प्रदर्श–पी25, खतौनी बन्दोबस्त 2012 से 2031 प्रदर्श–पी26, खसरा गिरदावरी संवत 2009 से 2012 प्रदर्श–पी27 प्रस्तुत किये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने लिखित बहस प्रस्तुत कर तर्क दिया कि ग्राम परसरामपुरा पटवार हल्का परसरामपुरा सरहद में वर्तमान खसरा नम्बर 1655 रकबा 1.57 हैक्टेयर जिसके पुराने खसरा नम्बर 2493 व इसके पुराने खसरा नम्बर 1804 थे जो वादीगण के पिता भगवानदास पुत्र हनुमान दास के नाम 2021 से 2036 तक राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। इसी ग्राम में खसरा नम्बर 1807 मुरली पुत्र हनुमानदास के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1611, 1613, 1614, 1615, 1616 दर्ज है राजस्व कर्मचारियों ने उक्त भूमि मुरलीधर के वारिसों के नाम दर्ज कर दी परन्तु वर्तमान खसरा नम्बर 1655 रकबा 1.57 भूमि को पैमाईश 2042 में बालाजी मंदिर के नाम दर्ज कर दी जो गलत दर्ज कर दी इस बाबत प्रार्थी ने दस्तावेज प्रदर्श पी1 से प्रदर्श पी25 तक पेश किये है जिसमें सम्वत 2021 से 2036 तक जमाबन्दी और गिरदावरी तथा 2017 से 2031 तक की मिशल बन्दोबस्त पेश की गई है जिससे साफ–साफ उल्लेख है खसरा नम्बर 1804 भगवान दास पुत्र हनमान दास के नाम दर्ज है। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6 विभाग) के परिपत्र दिनांक 24.05.2007 के पैरा नम्बर 03 में भी उल्लेखित किया गया है कि अगर मन्दिर माफी की भूमि खातेदारी में दर्ज है तो उन्हें मन्दिर माफी से हटाकर खातेदारी से खातेदारों के नाम दर्ज किया जावे व पैरा नम्बर 05 में लिखा है जागीरों के अधिग्रहण के समय मन्दिर माफी की भूमि किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पटटेदार आदि नाम दर्ज थी उन काश्तकारों को उत्तराधिकार योग्य व खातेदारी अधिकार प्राप्त है ऐसी भूमियों को पुनः मन्दिरों के नाम दर्ज किया जाना विधि सम्वत नहीं है राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर दर्ज रहेगा। सन् 2007 में राजस्थान सरकार ने मन्दिर माफी की भूमि कब्जा व काश्त का सर्वे करवाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.07 13:45:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ

था उस सर्वे रिपोर्ट में भी वादीगण का नाम दर्ज है तथा सर्वे रिपोर्ट में वादी का कब्जा काश्त दर्ज है। उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दीपा बनाम राजस्थान राज्य (1996) 1 सु.को. के 612 में यदि राजस्व अभिलेख में किसी अभिधारी का नाम किसी भी रूप में अभिलिखित था तो वह अभिधारी धारा 15 के तहत खातेदार हो जाता है चाहे वह भूमि देव मूर्ति की क्यों न हो। इस प्रकार उक्त विवादित भूमि वादीगण के पिता हनुमान दास के नाम संवत 2021 से 2036 तक दर्ज नहीं है जो दुसरी पैमाईश सम्वत 2042 में बालाजी मन्दिर के नाम राजस्व कर्मचारियों ने दर्ज कर दी जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। वाद वादी स्वीकार किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वृहद पीठ द्वारा 15 जुलाई 2015 को तारादेवी बनाम स्टेट में पारित निर्णय की प्रति प्रस्तुत की।

प्रतिवादी की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने जवाब के कथनों को दोहराते हुए तर्क दिया कि ग्राम परसरामपुरा के भूमि खसरा नम्बर 1804 रकबा 6 बीघा 4 बिश्वा जमाबन्दी संवत 2021–2024 के खाता संख्या 538 व जमाबन्दी संवत 2025–2028 के खाता संख्या 603 के कॉलम नम्बर 5 (नाम कृषक) में भगवानदास पत्र हनुमान कौम स्वामी अंकन दर्ज है। पुराने खसरा नम्बर 1804 के नये बने खसरा नम्बर 2493 रकबा 1.57 जमाबन्दी संवत 2044 आधार वर्ष के खाता संख्या 1194 के अनुसार मन्दिर श्री बालाजी वाके देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त अंकन जमाबन्दी संवत 2048–51 व 2052–55 तक मन्दिर श्री बालाजी के नाम दर्ज चला आ रहा है। पुराने खसरा नम्बर 2493 रकबा 1.57 हैक्टेयर के नये खसरा नम्बर 1655 रकबा 1.57 हैक्टेयर बने है। जो जमाबन्दी संवत 2056[illegible] व [illegible]61–64 तक मन्दिर श्री बालाजी वाके देह खातेदार हुआ रिकार्ड रहा है। इसी अनुसार आज दिनांक तक उक्त भूमि मन्दिर श्री बालाजी के नाम दर्ज रिकार्ड रहा है। नकल

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.07 13:45:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल संलग्न है। कानूनी स्थिति में मूर्ति को शाश्वत अवयस्क माना गया है। मूर्ति के शाश्वत अवयस्क होने के परिणामतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 (1)(अ) की निर्योगिताऐं इन भूमियों पर लागू है। वादी द्वारा मन्दिर मूर्ति की भूमि पर साज कर प्राप्त किये गये किसी भी दस्तावेज को कानूनी रूप से मान्यता नहीं मिल सकती है। सरकार के ध्यान में आने पर उक्त भूमि को की खातेदारी मन्दिर मूर्ति के नाम दर्ज की जा चुकी है। वादी यदि मन्दिर की खातेदारी भूमियों पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है तो वह केवल अतिचारी की परिभाषा में ही आता है। मूर्ति के शाश्वत अवयस्क होने के परिणामतः वादी को अतिचारी मानते हुए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुसंगत धाराओं के तहत बैदखल किये जाने योग्य है। वादी को इस वाद के जरिये किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं हो सकता है। वाद वादी निराधार सारहीन होने से इसी स्तर पर काबिल खारिज है। मूर्ति के शाश्वत अवयस्क होने के परिणामतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46(1)(अ) की निर्योगिताऐ इन भूमियों पर लागू होने के कारण वादी को मन्दिर मूर्ति की भूमि पर किसी प्रकार से खातेदारी अधिकारी का सृजन नहीं हो सकते है। वाद वादी सारहीन नियमों के विपरित होने से खारिज योग्य है। वाद वादी खारिज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में कायम तनकीयात का प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के अनुसार तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है–

तनकी संख्या 1:– आया वाद में वादी ग्राम परसरामपुरा के पुराने खसरा नम्बर 2493 के भी पुराना खसरा नम्बर 1804 जिसका नया खसरा नम्बर 1655 रकबा 1.57 हैक्टेयर की भूमि की वादीगण [illegible] त 5 के नाम प्रत्येक के 1/5–1/5 हिस्से की घोषणा [illegible]

भा.स.वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.07 13:45:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

27

प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा वाद के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में वादी परमानंद का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ एवं दस्तावेजी साक्ष्य में मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–पी1, पी2, जमाबंदी संवत 2021–24 प्रदर्श–3, 2025–28 प्रदर्श–4, 2044 आधार वर्ष प्रदर्श–पी5, 2048 से 2051 प्रदर्श–पी6, 2052 से 2055 प्रदर्श–पी7, 2056 से 2059 प्रदर्श–पी8, 2061–64 प्रदर्श–पी9, खसरा गिरदावरी 2021 प्रदर्श–पी10, 2022 से 2025 प्रदर्श–पी11, 2031 से 2033 प्रदर्श–पी12, 2021 प्रदर्श–पी14, 2022 से 2025 प्रदर्श–पी15, 2031 से 2033 प्रदर्श–पी16, 2022 से 2024 प्रदर्श–पी17, 2023 से 2025 प्रदर्श–पी18, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–पी19, जमाबंदी संवत 2025–28 प्रदर्श–पी20, 2021 से 2024 प्रदर्श–पी21, 2075 से 2078 प्रदर्श–पी22, 2033 से 2036 प्रदर्श–पी23, पी24, विधानसभा प्रश्न सन 2019 प्रदर्श–पी25, खतौनी बन्दोबस्त 2012 से 2031 प्रदर्श–पी26, खसरा गिरदावरी संवत 2009 से 2012 प्रदर्श–पी27 प्रस्तुत किये है। इनके अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम परसरामपुरा पटवार हल्का परसरामपुरा सरहद में वर्तमान खसरा नम्बर 1655 रकबा 1.57 हैक्टेयर जिसके पुराने खसरा नम्बर 2493 व इसके पुराने खसरा नम्बर 1804 थे जो वादीगण के पिता भगवानदास पुत्र हनुमान दास के नाम 2021 से 2036 तक राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। इसी ग्राम में खसरा नम्बर 1807 मुरली पुत्र हनुमानदास के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1611, 1613, 1614, 1615, 1616 दर्ज है राजस्व कर्मचारियों ने उक्त भूमि मुरलीधर के वारिसों के नाम दर्ज कर दी परन्तु वर्तमान खसरा नम्बर 1655 रकबा 1.57 भूमि को पैमाईश 2042 में बालाजी मंदिर के नाम दर्ज कर दी जो गलत दर्ज कर दी इस बाबत प्रार्थी ने दस्तावेज प्रदर्श पी1 से प्रदर्श पी25 तक पेश किये है जिस[illegible] 2021 [illegible]36 तक जमाबन्दी और गिरदावरी तथा 2017 से 2031 तक की [illegible] ब[illegible]स्त पेश की गई है जिससे साफ–साफ उल्लेख है [illegible] नम्बर 180[illegible] [illegible]वान दास पुत्र हनमान दास के नाम दर्ज है। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6 विभाग) के परिपत्र दिनांक 24.05.2007 के पैरा नम्बर 03 में भी उल्ले[illegible] किया गया है कि अगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.07 13:45:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

मन्दिर माफी की भूमि खातेदारी में दर्ज है तो उन्हें मन्दिर माफी से हटाकर खातेदारी से खातेदारों के नाम दर्ज किया जावे व पैरा नम्बर 05 में लिखा है जागीरों के अधिग्रहण के समय मन्दिर माफी की भूमि किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पटटेदार आदि नाम दर्ज थी उन काश्तकारों को उत्तराधिकार योग्य व स्थान्तरणीय अधिकार प्राप्त है ऐसी भूमियों को पुनः मन्दिरों के नाम दर्ज किया जाना विधि सम्वत नहीं है राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर दर्ज रहेगा। सन् 2007 में राजस्थान सरकार ने मन्दिर माफी की भूमि कब्जे व काश्त का सर्वे करवाया था उस सर्वे रिपोर्ट में भी वादीगण का नाम दर्ज है तथा सर्वे रिपोर्ट में वादी का कब्जा काश्त दर्ज है। उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दीपा बनाम राजस्थान राज्य (1996) 1 सु.को. के 612 में यदि राजस्व अभिलेख में किसी अभिधारी का नाम किसी भी रूप में अभिलिखित था तो वह अभिधारी धारा 15 के तहत खातेदार हो जाता है चाहे वह भूमि देव मूर्ति की क्यों न हो। इस प्रकार उक्त विवादित भूमि वादीगण के पिता हनुमान दास के नाम संवत 2021 से 2036 तक दर्ज नहीं है जो दुसरी पैमाईश सम्वत 2042 में बालाजी मन्दिर के नाम राजस्व कर्मचारियों ने दर्ज कर दी जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

इस संदर्भ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वृहद पीठ ने तारादेवी बनाम स्टेट में अभिनिर्धारित किया गया है कि एक व्यक्ति, जो जागीर अधिनियम 1952 के लागू होने से ठीक पहले राजस्व अभिलेखों में खातेदार, पट्टेदार, खादमदार के रूप मे दर्ज था या किसी अन्य विवरण के तहत यह दर्शाता है कि वह एक काश्तकार है, जिसके पास हिंदू मूर्ति (देवता) की मुआफी भूमि की कातश्कारी में वंशानुगत और पूर्णतः हस्तांतरणीय अधिकार है, वह जागीर, अधिनियम 1952 और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रयोजनों के लिए मुआफी के पुनर्ग्रहण पर किसी भूमि का खातेदार काश्तकार बन जाएगा। प्रस्तुत प्रकरण में खसरा बन्दोबस्त संवत 2012 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.07 13:45:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

2031 प्रदर्श पी–26 के कॉलम संख्या 5 नाम कृषक पिता का नाम जाति व निवास स्थान श्रेणी कृषक व कृषि काल में विवादित भूमि के गत खसरा नम्बर 1804 भगवानदास वल्द हनुमानदास कौम स्वामी साकिन देह के नाम दर्ज है। स्पष्ट है कि वादी प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से विवादित भूमि हाल खसरा नम्बर 1655 रकबा 1.57 हैक्टेयर वाके ग्राम परसरामपुरा की वादीगण 1 लगायत 5 के नाम प्रत्येक के 1/5–1/5 हिस्से की खातेदारी की उद्घोषणा के अधिकारी है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2:– आया वाद में पुराने खसरा नम्बर 1804 जमाबन्दी संवत 2021–2024 व 2025–2028 में भगवानाराम पुत्र हनुमान कौम स्वामी अंकन दर्ज है, नये बने खसरा नम्बर 2493 जमाबन्दी संवत 2044, 2048–51 व 2052–2055 में मन्दिर श्री बालाजी वाके देह खातेदार के नाम दर्ज है, तथा नये बने खसरा नम्बर 1655 जमाबन्दी संवत 2056–59 व 2061–64 तक व आज दिनांक तक मन्दिर श्री बालाजी वाके देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मूर्ति को शाश्वत अवयस्क मानने के परिणामतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46(1)(अ) की निर्योगिताऐ लागू होने के कारण वादी को वाद भूमि पर किसी प्रकार से अधिकार प्राप्त नहीं होने व अतिचारी होने से वाद वादी काबिल खारिज होने योग्य है।

भा.स.प्रतिवादीगण

यह स्वीकृत तथ्य है कि पुराने खसरा नम्बर 1804 जमाबन्दी संवत 2021–2024 व 2025–2028 में भगवानाराम पुत्र हनुमान कौम स्वामी अंकन दर्ज है, नये बने खसरा नम्बर 2493 जमाबन्दी संवत 2044, 2048–51 व 2052–2055 में मन्दिर श्री बालाजी वाके देह खातेदार के नाम दर्ज है, तथा नये बने खसरा नम्बर 1655 जमाबन्दी संवत 2056–59 व 2061–64 तक व आज दिनांक तक मन्दिर श्री बालाजी वाके देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है किन्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.07 13:45:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

खतौनी बन्दोबस्त प्रदर्श–पी 26 में भगवानदास बतौर कृषक दर्ज है। ऐसी स्थिति मे विवादित भूमि मूर्ति मंदिर की खातेदारी अथवा खुदकाश्त की नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण इस तनकी को साबित करने में सफल नहीं रहे है।फलस्वरूप इस तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्ध एवं वादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

तनकीसंख्या 3:–दादरसी

तनकी संख्या 1 व 2 के विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादीगण को विवादित भूमि खसरा नम्बर 1655 रकबा 1.57 हैक्टेयर वाके ग्राम परसरामपुरा में प्रत्येक को 1/5–1/5 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादीगण को विवादित भूमि खसरा नम्बर 1655 रकबा 1.57 हैक्टेयर वाके ग्राम परसरामपुरा में प्रत्येक को 1/5–1/5 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस भूमि मे मन्दिर श्री बालाजी के नाम दर्ज खातेदारी का इन्द्राज विलोपित कर वादीगण के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुशील कुमारसैनी)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.07 13:45:07 IST
Reason: SelfAttested

31

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास हवाई सिंह यादव (आर॰ए॰एस॰)

दावा बाबत : घोषणार्थ व रिकॉर्ड दुरूस्ती
(परमानंद बनाम तहसीलदार आदि)

मुकदमा सं0:– 44 / 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर॰ए॰एस॰), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण जानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 28.10.2024 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम परसरामपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1655 रकबा 1.57 है0 में वादीगण प्रत्येक को 1/5–1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि में दर्ज मंदिर श्री बालाजी के नाम दर्ज खातेदारी का इंद्राज विलोपित कर वादीगण के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार नवलगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान् अपना–अपना वहन करेंगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.10.2024 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रेक) नवलगढ
मोहर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ़

मुददई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.07 13:45:07 IST
Reason: SelfAttested